22-10-19 को पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित हैं। [illegible] आपस में समझौता हो गया है। पक्षकार [illegible] हैं। [illegible] पत्रावली दिनांक 13-11-19 को पेश हो।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

13-11-19 को पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। प्रकरण में उभय पक्ष को अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18-12-19 को पेश हो।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई / बुलाये पक्षकार उपस्थित / P.O.
18-12-19 ~~[illegible]~~ पत्रावली अगले आदेशानुसार दिनांक 5-2-20 को पेश हो।
हस्ताक्षर रीडर

5-2-20 को पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष [illegible] पत्रावली प्राप्त के बाद ग्राम गजपुर के खसरा संवत 2072-75 के खाता नं. 43 के खेत [illegible] 2 का कुल रकबा 17.2 बिस्वा में काबुलियत बंटवारा नहीं है। [illegible] रकबे के बारे में [illegible] निर्णय किया।

इसके बाद [illegible] की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में [illegible] के रकबे के बारे में [illegible] स्थिति [illegible] उचित समझता हूँ।

अतः [illegible] में [illegible] के आधार पर [illegible] के रकबे का आदेश दिया जाता है। [illegible] के अनुसार [illegible] से कुल [illegible] प्रकरण समाप्त करें।

5/2/20

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested